

प्रेस प्रकाशनी

1. संसद का शीतकालीन सत्र, 2018, मंगलवार, 11 दिसंबर, 2018 को आरंभ हुआ था। लोक सभा को मंगलवार, 08 जनवरी, 2019 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसमें 29 दिनों की अवधि में कुल 17 बैठकें हुईं। राज्य सभा को बुधवार, 09 जनवरी, 2019 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था, जिसमें 30 दिनों की अवधि में कुल 18 बैठकें हुईं।
2. सत्र के दौरान, 17 विधेयक पुरःस्थापित किए गए (12 लोक सभा में और 03 राज्य सभा में)। सत्र के दौरान, लोक सभा द्वारा 14 विधेयक पारित किए गए जबकि राज्य सभा द्वारा 04 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा 05# विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान पुरःस्थापित, विचारित और पारित किए गए विधेयकों के नामों की सूची संलग्न है।
3. लोक सभा की उत्पादकता लगभग 47% और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 27% रही।
4. सत्र के दौरान, लोक सभा में वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच से संबंधित विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित किया गया, उस पर चर्चा की गई और उसे पारित किया गया। इस विधेयक को राज्य सभा में भेजा गया और वहां इसे विचार के लिए नहीं लिया जा सका और चूंकि राज्य सभा में प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर इसे लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है इसलिए विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया हुआ माना जाएगा जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया है।
5. लोक सभा द्वारा दो महत्वपूर्ण विधेयकों अर्थात् आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 तथा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 को भी पारित किया गया।
6. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए अध्यादेशों अर्थात् (i) मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 (ii) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 और (iii) कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करने वाले तीन विधेयकों पर लोक सभा द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया। वर्तमान में ये विधेयक राज्य सभा में लंबित हैं।
7. उपरोक्त के अलावा, सत्र की अन्य मुख्य विशेषताओं में संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण उपलब्ध कराएगा, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित करना शामिल है।
8. लोक सभा में, राफेल सौदे पर नियम 193 के अंतर्गत एक अल्पावधि चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों, विशेषकर केरल, तमिलनाडू और ओडिशा में आई प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर गाजा, तितली आदि जैसे चक्रवातों के संदर्भ में भी अल्पावधि चर्चा शुरू की गई जो पूरी नहीं हो पाई।
9. राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसंबर, 2018 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा पर लोक सभा में 28.12.2018 को तथा राज्य सभा में 2 और 3 जनवरी, 2019 को चर्चा की गई और उसे स्वीकृत किया गया।
10. चार पुराने लंबित विधेयकों अर्थात् नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2015 को राज्य सभा में वापिस लिया गया।

#लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में राज्य सभा को उसकी सिफारिश हेतु भेजे विधेयक को राज्य सभा में उसकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है। इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 109 केखंड (5) के अंतर्गत उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया हुआ माना जाएगा जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

**सोलहवीं लोक सभा के सोलहवें सत्र और राज्य सभा के 247वें सत्र
(शीतकालीन सत्र, 2018) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य**

I. लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. बांध सुरक्षा विधेयक, 2018
2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
3. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
4. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018
5. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2018
6. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018
7. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018
8. विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2018
9. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019
10. व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2019
11. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
12. संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

II. राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति विधेयक, 2018
2. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019
3. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2019
4. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019
5. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019

III. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018
2. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2018
3. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018
4. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018
5. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018
6. विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2018
7. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
8. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019
9. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019
10. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र विधेयक, 2019
11. स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2019
12. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विधेयक, 2019
13. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019
14. संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

IV. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018
2. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019

4. संविधान (एक सौ चौबीसवां) संशोधन विधेयक, 2019

v. संसद के दोनों सदनोंद्वारा पारित किए गए विधेयक

1. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018
2. # विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2018
3. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
5. संविधान (एक सौ चौबीसवां) संशोधन विधेयक, 2019

VI- वापस लिए गए विधेयक

1. नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013
2. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
3. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
4. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2015

#लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में राज्य सभा को उसकी सिफारिश हेतु भेजे विधेयक को राज्य सभा में उसकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है। इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 109 केखंड (5) के अंतर्गत उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया हुआ माना जाएगा जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।